




कार्यालय आदेश सं०- 210/2021

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-87/2021 दिनांक-02.02.2021 को रद्द करते हुए इसके अतिक्रमण में निम्नांकित कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया जाता है।

इस कार्यालय के पत्रांक Ka/283/IR-ID/MT/Guard/Sonpur/2020/Pt-1 दिनांक-11.09.2020 एवं मंत्रप्र(का०)/दक्षिण पूर्व रेलवे/रॉची मंडल के पत्रांक SER/P-RNC/ET/223/CK & TH/PT/H/20 दिनांक-21.07.2020 द्वारा मो० तारिक हुसैन, माल गार्ड, बरौनी वेतनमान 5200-20200+2800 जीपी, लेवल-05 सोनपुर मंडल एवं श्री चंदन कुमार पुत्र श्री शत्रुघन राम, माल गार्ड, रॉची मंडल वेतनमान 5200-20200+2800 जीपी दक्षिण पूर्व रेलवे के बीच अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण पर दोनों मंडल के स्वीकृति उपरांत मंत्रप्र(का०)/दक्षिण पूर्व रेलवे, रॉची मंडल के कार्यालय आदेश सं०- PERS/RNC/41/2021 दिनांक-28.01.2021 द्वारा श्री चंदन कुमार, माल गार्ड, लेवल-05 इस कार्यालय में दिनांक-29.01.2021 को योगदान हेतु रिपोर्ट किये हैं, को माल गार्ड वेतनमान 5200-20200+2800 जीपी, लेवल-05 में स्टेट्डी/मुजफ्फरपुर के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

इन्हें लेवल-05 में पारस्परिक स्थानान्तरण पर अनुमेय वरीयता देय होगी। स्थानान्तरण पर मिलने वाली सुविधा देय नहीं होगी। श्री चंदन कुमार के अन्य सेवा विवरण हेतु मंत्रप्र(का०)/रॉची के विरमन की छाया प्रति संलग्न है।

इनका दिनांक-29.01.2021 से 02.02.2021 तक ड्यूटी हेतु प्रतिकारत एवं 03.02.2021 से 02.05.2021 तक अनुपस्थित अवधि एवं दिनांक 03.05.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को ड्यूटी हेतु प्रतिकारत अवधि माना जायेगा। कर्मचारी के आवश्यक पहचान हेतु सत्यापित फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं बांये हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है।

फोटो	हस्ताक्षर एवं बांये हाथ के अंगूठे का निशान
 <p>RAVI KUMAR PANDIT सहायक कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर</p>	 <p>Chandan Kumar RAVI KUMAR PANDIT सहायक कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर</p> 

उपर्युक्त पदस्थापना आदेश वमपचाप्र/सोनपुर द्वारा आदेशित है।

RAVI KUMAR PANDIT

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि-11

कृते मंत्रप्र(कार्मिक)/सोनपुर

दिनांक-07.05.2021

सं०-का/283/अम-अरे/पार०स्था०/गार्ड/सोन/2020/पार्ट-1

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमपचाप्र एवं वमविप्र/सोनपुर।

02. मंत्रप्र(का०)/दपूरे/रॉची-श्री चंदन कुमार का विधिक्षित सेवा अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

03. स्टेट्डी/मुजफ्फरपुर। 04. मुकार्याधी/बिल/सोनपुर। 05. संबंधित कर्मचारी

06. कार्यालय आदेश प्रति।

07. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो/सोनपुर मंडल।

RAVI KUMAR PANDIT  
कृते मंत्रप्र(कार्मिक)/सोनपुर